भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †1310
सोमवार, 11 दिसम्बर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन सूचना केन्द्र की स्थापना के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता

†1310. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पर्यटकों को विश्वास में लेने और उन्हें मैत्रीपूर्ण आतिथ्य पेश करने हेतु पर्यटन-संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए एक परियोजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पर्यटकों पर विशेष ध्यान देने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पर्यटकों को पर्यावरण-पर्यटन और प्रकृति अनुकूल पर्यटन हेतु बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पर्यटकों को स्थानीय त्योहारों और सांस्कृतिक मेलों को देखने के लिए विशेष व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय ने गंतव्य आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरूआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षण, उन्नयन, जागरूकता फैलाना और पर्यटन स्थलों तथा गंतव्यों के समीप रहने वाले उन स्थानीय लोगों और सेवाप्रदाताओं को स्थानीय स्तर पर सेवाएं/प्रशिक्षण देना है जो प्रशिक्षण लेने के लिए दूसरे शहरों/नगरों की यात्रा नहीं कर सकते हैं। इस पहल के अंतर्गत अभी तक 12000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और देशभर के विभिन्न पर्यटक गंतव्यों में ऐसे 150 प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

(ग): स्थायी एवं जिम्मेदार पर्यटन हेतु भारत को एक पसंदीदा वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी पर्यटन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है। स्थायी पर्यटन के विकास हेतु निम्नलिखित कार्यनीतिक स्तम्भों को चिह्नित किया गया है:-

i. पर्यावरणिक स्थायित्व को बढ़ावा देना
ii. जैव विविधता का संरक्षण
iii. आर्थिक स्थायित्व को बढ़ावा देना
iv. सामाजिक-सांस्कृतिक स्थायित्व को बढ़ावा देना
v. स्थायी पर्यटन के प्रमाणन संबंधी योजना
vi. आईईसी तथा क्षमता निर्माण
vii. शासन

स्थायी पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीति के कार्यान्वयन में मंत्रालय की सहायता के लिए मंत्रालय द्वारा भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) को केन्द्रीय नोडल एजेंसी-स्थायी पर्यटन (सीएनए-एसटी) के रूप में नामित किया गया है।

(घ): आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय मेले/महोत्सवों और पर्यटन संबंधी आयोजनों (अर्थात संगोष्ठी, कॉन्क्लेव, सम्मेलन आदि) के प्रस्ताव हेतु राज्य सरकारों को 50.00 लाख रु. तक और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को 30.00 लाख रु. तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।
इस योजना के अंतर्गत शामिल घटक निम्नानुसार हैं:-

i. अर्ध-स्थायी संरचनाओं का सृजन।
ii. पोस्टर, पैम्फ्लैट तैयार करना, समाचार-पत्र में विज्ञापन और फिल्म तैयार करना।
iii. कलाकारों का पारिश्रमिक।
iv. बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, साउंड, खानपान तथा ठहरना, परिवहन, स्थान किराए पर लेना और अन्य समान कार्यकलाप।

योजना के दिशा-निर्देशों में स्थानीय महोत्सवों और सांस्कृतिक मेलों को देखने के लिए पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था और सुरक्षा मुहैया कराने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकार में पर्यटकों को समुचित सुरक्षा प्रदान करती हैं।

(ड.): पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) देश में विभिन्न पर्यटन गंतव्यों में पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए ''स्वदेश दर्शन'', ''तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान'' प्रशाद और ''केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता'' योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटक सूचना और सुविधा को बेहतर बनाने के साथ-साथ राज्यों के पर्यटक उत्पादों के विपणन और प्रचार हेतु प्रमुख आईटी पहलें करने हेतु राज्य पर्यटन विभागों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि वे प्रचार, संवर्धन, विपणन आदि क्षेत्रों में अपने पर्यटन उत्पादों और सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग को अपना सकें। इस योजना के अंतर्गत राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को आईटी परियोजना (राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों की) के 50% तक वित्तीय सहायता दी जाती है जो प्रत्येक राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के लिए वार्षिक अधिकतम सीमा के अध्यधीन है। यह कुल परियोजना लागत का 90% अथवा 50 लाख रु., जो भी कम हो, होगी।

****